# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

**पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार** RAS

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 99/2018
सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, तहसील आमेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. सांवरमल पुत्र श्री नानूराम, जाति–जाट, निवासी–टाटियावास, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
2. मंगला पुत्र श्री नारायण, जाति–जाट, निवासी–टाटियावास, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
3. रामनिवास पुत्र श्री मांगू, जाति–जाट, निवासी–टाटियावास, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
4. ग्यारसीलाल पुत्र श्री मांगू, जाति–जाट, निवासी–टाटियावास, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
5. शिवकुमार पुत्र श्री घनश्याम, जाति–माली, निवासी–पिसाऊ, जिला–झुझुनू।

अप्रार्थीगण,

( राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 )

उपस्थितिः–
1. श्री अरविन्द कुमार पारीक, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
2. श्री लालचंद जाट, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 2, 3 व 4 की ओर से।
3. श्री बनवारी शर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 5 की ओर से।
4. राजकीय पैरोकार, उपस्थित।

**निर्णय** **दिनांक : 11.02.2021**

तहसीलदार, आमेर द्वारा ग्राम टाटियावास, तहसील–आमेर की भू–राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2010 से 2023 की मिसल बन्दोबस्त में माफी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम से दर्ज भूमि ख0नं0 132/1, 133, 132/2, 134, 135, 136, 138, 137/356/1 कुल रकवा 16 बीघा 7 बिस्वा थी। मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2046 के अनुसार नवीन ख0नं0 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 135, 136 कुल रकवा 4.14 हे0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि को सम्वत् 2020–2023 में मंदिर का नाम विलोपित करते हुए सीधे ही कालूदास चैला रूघनाथ दास के नाम अंकित करने पर यह रेफरेन्स प्रस्तुत हुआ है।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर अप्रार्थीगण को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल मिसल कराया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि कभी भी सम्वत् 2008 से व इससे पूर्व तथा उसके पश्चात् कभी भी माफी मंदिर के नाम से नही रही तथा न ही वादग्रस्त भूमि कभी मंदिर की खातेदारी में ही रही एवं अप्रार्थीगण के पूर्व हकधारियों श्री नानूराम पुत्र काना, रामनिवास पुत्र नानू और मंगला पुत्र नारायण द्वारा वादग्रस्त भूमि को जरिये विक्रय पत्र के दिनांक 06.03.1968 को विक्रेता श्री कालूदास चैला रघुनाथ दास टाटियावास, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर से क्रय की थी तथा उससे पूर्व उक्त भूमि विक्रेता की खातेदारी में

दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है तथा अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में कभी भी मंदिर का नाम अंकित नही रही, इसलिए खातेदार का नाम विलोपित करना कतई गलत है। वादग्रस्त भूमि पूर्वजों के समय से ही अप्रार्थीगण के पूर्व हकधारी व अब अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है तथा बैहसियत खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण ही काबिज काश्त है, काश्तकार के कॉलम में अप्रार्थीगण के पूर्व हकधारी का ही नाम दर्ज रहा।

वादग्रस्त भूमि का कभी भी मंदिर कृषक नही रहा तथा मंदिर केवल मात्र जागीरदार की हैसियत से दर्ज रहा है तथा अप्रार्थीगण व उनके पूर्व हकधारी काश्तकार थे तथा उन्हे जागीर पुनःग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है।

वादग्रस्त भूमि वास्तव में सम्वत् 2008 से पूर्व ही अप्रार्थीगण के पूर्व हकधारी को व उसके बाद अप्रार्थीगण को विधि अनुसार खातेदारी अधिकार तात्कालिक प्रचलित अधिनियम के तहत प्राप्त हो चुके थे एवं भूमि सुधार तथा जागीर पुनः ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा के 9 तहत भी उक्त व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त है।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र करीब 62 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है जो खातेदारी अधिकार सम्वत् 2008 से पूर्व ही अप्रार्थीगण के पूर्व हकधारी को व बाद में अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुके थे, जो 62 वर्ष पश्चात् निरस्त नही किये जा सकते है।

जागीर के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी। उनमें उनको काश्तकारों को उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नही है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने RRD जनू 2005 पेज नम्बर 365 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम तीजा व अन्य में अवधारित किया है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र 13 वर्ष देरी से पेश किया गया था को अनुपयुक्त देरी मानते हुए खारिज करने के आदेश प्रदान किये थे एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा RRD अक्टूबर 2005 पेज नम्बर 669 सोमोती देवी बनाम राजस्थान सरकार, RRD 2000 पेज 109 कंचन बाई व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, RRD 1996 पेज नम्बर 170 आनन्दी लाल बनाम राजस्थान सरकार RLR 2000 (1) पेज नम्बर 69 व RRD 2000 पेज 14 बालकिशन बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व 1996 (1) SSC पेज 612, RLR 2001 (1) पेज 623 में पैंतीस साल बाद बनाये गये रेफरेन्स को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने को विदाउट ज्यूडिक्शन मानते हुए खारिज किया गया, उक्त रूलिंग्स ने दी गई फाइडिंग्स के आधार पर स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार कानूनी रूप से अप्रार्थी कृषक ही है तथा माफी मंदिर के हक में इन्द्राज करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। रेफरेन्स हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में वर्णित तथ्यों पर ही बहस केन्द्रीत करते हुए दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि तहसील आमेर के ग्राम टाटियावास की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2008–23 के अनुसार रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित कुल किता 8 कुल रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम से दर्ज रिकार्ड थी, जो नये ख0नं0 के अनुसार अप्रार्थीगण के नाम से अंकित है। तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा भूमि मंदिर का नाम विलोप्ति करते हुए सीधे ही कृषक कालूदास चेला रूघनाथ दास के नाम अंकित कर दी गई। कालूदास चेला रूघनाथ दास ने भूमि का विक्रय कर दिया तथा जरिये नामान्तरकरण सं0 84 दिनांक 23.05.1971 के द्वारा क्रेतागण नानूराम पुत्र काना, रामनिवास पुत्र मांगू, मंगला पुत्र नारायण कौम जाट, सा.देह एवं जरिये

नामान्तरकरण सं0 37, दिनांक 30.05.2000 नामान्तरकरण सं0 57 दिनांक 25.10.2001 एवं नामान्तरकरण सं0 59 दिनांक 05.09.2001 के द्वारा सांवरमल पुत्र नानूराम हिस्सा 1/3 मंगला पुत्र नारायण हिस्सा 1/3, रामनिवास पुत्र मांगू हिस्सा 1/6, ग्यारसीलाल पुत्र मांगू हिस्सा 1/6 जाति–जाट सा.देह के नाम क्रमशः डिक्री विनिमय एवं विरासत के मुताबिक दर्ज हुआ जिसका अमल जमावंदी सम्वत् 2028–31 एवं सम्वत् 2057–60 में अंकित हुआ। वादग्रस्त भूमि में से ख0नं0 135 रकवा 0.39 हे0 दिनांक 20.04.2001 के क्रेता शिवकुमार पुत्र घनश्याम, जाति–माली, साकिन पिसाऊ, जिला–झुझुन्नू जमावंदी सम्वत् 2057–60 में अंकन हुआ जो बदस्तूर है। वादग्रस्त भूमि मूल रूप से माफी मंदिर की भूमि थी। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में विधि अनुरूप पेश किया गया है। अतः अप्रार्थीगणों का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोप्ति कराया जा कर माफी मंदिर का नाम मिसल बन्दोवस्त के अनुसार दर्ज करया जावें।

विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा लिखित वहस प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल कराया गया। विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार, आमेर द्वारा गांव टाटियावास की भूमि साविक ख0नं0 132/1, 133, 132/2, 134, 135, 136, 138, 137/356/1, कुल किता 8 का कुल रकवा 16 बीघा 7 बिस्वा की वावत् एक रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जिसमें श्रीमान् तहसीलदार जी ने कथन किया है कि सम्वत् 2010 से 2023 की जमावंदी तहरीर करते समय तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूमि मंदिर का नाम विलोपित करते हुए सीधे ही कालुराम चेला रघुनाथदास के नाम अंकित कर दिया गया तथा जिसे बाद में विक्रय पत्र होने पर जरिये नामान्तरकरण सं0 84 दिनांक 23.05.1971 के भूमि बिक जाने के कारण से नानूराम पुत्र काना, रामनिवास पुत्र मांगू, मंगला पुत्र नारायण साकिन देह के नाम कर दिया गया व इसी प्रकार जरिये नामान्तरकरण सं0 37, 57, 59, दिनांक 30.05.2000 व 25.10.2001 व 05.09.2001 के द्वारा सांवरमल पुत्र नानू हिस्सा 1/3 की मंगला पुत्र नारायण हिस्सा 1/3, रामनिवास पुत्र मागूं हिस्सा 1/6, ग्यारसीलाल पुत्र मांगू हिस्सा 1/6 जाट साकिन देह के नाम कर दिया गया एवं डिक्री विनिमय के एवं विरासत के मुताबिक दर्ज हुआ जिसका अमल जमावंदी सम्वत 2022 से 2031 व जमावंदी 2057 लगायत 2060 में अंकित हुआ इसके पश्चात् भूमि का पुनः बेचान होने से जरिये नामान्तरकरण सं0 55 ख0नं0 135 रकवा 0.39 है0 को उसके क्रेता शिव कुमार पुत्र घनश्याम जाति–माली के नाम दिनांक 20.04.2001 को खातेदारी कर दी गयी जो जमाबंदी सम्वत् 2057 लगायत 2060 में इन्द्राज आया जो बदस्तूर है।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में विभिन्न सर्कुलर माफी मंदिर की भूमि वावत् दिनांक 13.12.1991 दिनांक 13.12.2001, दिनांक 24.05.2007, दिनांक 06.01.2010 एवं दिनांक 25.11.2011 के विभिन्न सर्कुलर अर्थात परिपत्र के माध्यम से निर्देश जारी किये जा चुके है तथा उनमें यह बात इन समस्त सर्कुलरों में व इनके माध्यम से स्पष्ट कर दी गयी है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति, मंदिर, खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार के नाम दर्ज थी उनमें उन खातेदारों की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.10.1955 को अधिनियम के लागू होते समय काविज अथवा खातेदार थे, के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जावेगी तथा इन्हे पुनः उक्त दिनांक 15.10.1955 को उनके कब्जे के अनुसार खातेदारी के अधिकार दे दिये जायेगे इस प्रकार खातेदारी अधिकार दिया जाना विधिसम्मत है।

प्रकरण के साथ उन्होने कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे कि यह सावित होता हो, कि भूमि माफी मंदिर गोपाल जी की खुदकाश्त में दर्ज थी। जबकि अप्रार्थी श्रीमान् की सेवा में सम्वत् 2009 लगायत 2012 की गिरदावरी प्रस्तुत कर रहा है जिसमें विवादित खसरा नम्बरों में सम्वत् 2011 में एक तो नारायण का नाम आया है और सम्वत् 2010 में कालुदास का नाम विशेष टिप्पणी वाले कॉलम में आया है। इससे यह तथ्य सिद्ध है कि भूमि माफी मंदिर की

दिनांक 15.10.1955 तथा इससके पूर्व तथा इसके पश्चात् कभी भी मंदिर की खुद काश्त में दर्ज नही रही है, इसलिए यह रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य नही रहा है। क्योंकि स्वयं तहसीलदार जी ने मात्र जमाबंदी के अलावा मंदिर के खुदकाश्त व कब्जे का कोई सबूत पेश नही किये गये है। विद्वान् अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये :–

1. RRT 2005 (i) Page 479 To 484
2. RRD 2000 Page 14 To 18
3. RRD 1994 Page 1 To 18
4. RLR 1990 (1) Page 161 To 168
5. RRD 2015 Page 556 To 588
6. परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007
7. परिपत्र क्रमांक प.2 (4)राज–4/90/37 दिनांक 13.12.1991

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। अप्रार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णयों एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्रों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स में यह तथ्य अंकित किया गया है कि सम्वत् 2010–23 की जमाबंदी तहरीर करते हुए राजस्व कर्मियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नाम विलोपित कर वादग्रस्त भूमि को कालूदास चेला रूघनाथ दास के नाम अंकित कर दी गई। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के वक्त अभिलेख में मूर्ति मंदिर के नाम विभिन्न रूपों में अभिलिखत भूमियों में काबिज काश्तकार के खातेदारी अधिकार अर्जित होने अथवा नही होने के बाबत् समय–समय पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी विभिन्न परिपत्र दिनांक 13.12.1991, 24.05.2007, 06.01.2010, 25.11.2011, 12.09.2018 को जारी किये गये है।

जिसमें राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2007/14 जयपुर दिनांक 24.05.2007 को जारी कर यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी भूमि जो मंदिर माफी की थी के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी के नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेगे। जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत् नही है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों के नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया जिसमें भी माननीय उच्च न्यायालय में वृहद पीठ द्वारा प्रकरण 2015 (2) आर.आर.टी. 868 तारा बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में विभिन्न विन्दुओं पर अपनी राय स्पष्ट की गई है, जिनके विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 तथा राजस्थान भू–सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के अनुसार देवता की भूमि के संबंध में प्रस्तुत रेफरेन्सेज का निर्णय कर विभिन्न प्रश्नो का जवाब अंकित करते हुए मंदिर माफी की जमीन के संबंध में विस्तृत निर्णय पारित किया गया है।

माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि जागीर/मंदिर माफी की भूमियों पर तत्कालीन जागीरदार द्वारा मंदिर माफी की भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा भूमि काश्त कराने पर भूमि राज्य हित में निहीत होगी। परन्तु जागीर पुर्नग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा कृषक के रूप में काश्त की जा रही थी तो तत्कालीन कृषक का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोप्ति करने का अधिकार नही होगा। और यदि जागीर भूमियों पर किसी कृषक का नाम विलोप्ति

कर दिया गया है तो राजस्व रिकार्ड में ऐसी की गई सभी प्रवष्टियां आकृत व शून्य (Null & Void) मानी जायेगी।

विवादग्रस्त भूमि पूर्व में मंदिर श्री गोपाल जी की माफी में दर्ज थी और माफी का नियमानुसार पुर्नग्रहण हो गया और पुर्नगृहित होने के पश्चात भूमि अधिकारी के अधिकार राज्य सरकार में व्याप्त हो गये। इसके आधार पर भूमि अधिकारी के कॉलम में राज्य सरकार का नाम अंकित किया गया। मूर्ति श्री गोपाल जी शाश्वत अव्यस्क की परिभाषा में आते हैं, परन्तु मूर्ति श्री गोपाल जी कभी भी विवादग्रस्त भूमि के खातेदार कृषक नहीं रहे हैं एवं उनकी खातेदारी की भूमि किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं की गई है और श्री गोपाल जी की माफी का पुर्नग्रहण होने की वजह से उनके नाम के स्थान पर राजस्थान सरकार को भूमि अधिकारी अंकित किया गया है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रेफरेन्स की कार्यवाही मात्र तब तक ही की जा सकती है जब तक किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी के द्वारा किसी प्रकरण या किसी कार्यवाही में कोई अवैध निर्णय पारित किया गया हो। विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार ने इस विषय पर जांच किये बिना ही कि किस अधीनस्थ अधिकारी ने किस प्रकरण में ऐसा क्या आदेश पारित किया जिसे अवैध होना मानते हुए उसे निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती हो। इस प्रकार रेफरेन्स किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया वह विधि में विहित प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। प्रकरण के निर्णय से पूर्व राजस्थान भू–पुर्नग्रहण एवं जागीर अधिग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 एवं 10 पर विचार करना आवश्यक है।

Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagir Act, 1952 Section 9 & 10

Sec.9 Khatedari Rights in Jagir Lands –

Every Tenant in the Jagir land who at the commencement of this Act is enterd the revenue records as the Khatedar, Pattedar, Khadimdar or under any other description implying that the tenant has heritable and full transferable right in the tenancy shall continue to have such rights and shall be called a Khatedar tenant in respect of such land.

Sec.10 Khtedari Right in the Khudkast land-

As From the date of resumption of any Jagir land and khudkast land of a jagir shall be deemed to be held by the jagirdar as a tenant and shall be assesses at the village rate.

इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार माफी की सारी आराजियो को रिज्यूम की जा कर राजस्थान सरकार में निहित हो जायेगी एवं धारा 10 में खुदकाश्त की भूमि पर खुदकाश्त खातेदार को खातेदारी अधिकार प्रदान हो जायेगें। जो नाम बतौर खुदकाश्तकार उस समय दर्ज है वह अंकन बरकरार रहेगा, उन्हे खातेदार–काश्तकार माना जायेगा। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी मंदिर माफी की खुदकाश्त भूमि दर्ज नही है वह कालूदास चैला रूघनाथ दास के नाम अंकित थी, जिसे राजस्थान खातेदारी अधिकार अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अनुसार स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में भी दायर रेफरेन्स एल.आर./9326/2008/जयपुर में पारित निर्णय सरकार बनाम कालूराम व अन्य में राजस्व मण्डल के पत्र दिनांक 06.01.2011 को संदर्भित करते हुए भी यह अंकित किया है कि :–

मंदिर माफी की भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकार के संबंध में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी, उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होगें ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत् नही है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।

राज्य सरकार व राजस्व मण्डल राज0 ने समय–समय पर परिपत्र जारी कर यह निर्देश दिये हैं कि जहां जागीर पुर्नग्रहण के समय कोई भूमि माफी मंदिर के नाम

खुदकाश्त के रूप में दर्ज ना हो और कृषक का नाम कृषक के खाते में दर्ज हो वहां रेफरेन्स किये जाने का कोई आधार नहीं है। हमनें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 व राजस्थान (भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण) अधिनियम, 1952 की धारा 9 व 10 तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.05.2007 तथा परिपत्र दिनांक 25.11.11 तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णयों का गहनता से अवलोकन किया।

उक्त न्यायिक निर्णयों संदर्भो में तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 राजस्थान जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 व 10 राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 2(4) राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13.12.1991, प.3(2)राज–6/2007/14 जयपुर दिनांक 24.05.2007 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी पत्रांक राम/प–63/न्याय/स्था/05/636–689 दिनांक 06.01.2010, प.3(2)राज–6/2007/19 जयपुर दिनांक 25.11.2011 एवं प.3(2)राज–6/2007/पार्ट/05 जयपुर दिनांक 12.09.2018 में जारी किये गये निर्देशों के क्रम में हमारा यह सुविचारित मत है कि हस्तगत प्रकरण में सम्वत् 2010–23 की खतौनी बन्दोबस्त में कॉलम नं0 3 में नाम मातमीदार व हिस्सेदार में हरदयाल सिंह मजकूर माफी मंदिर श्री गोपाल जी अहतमाम पुजारी हनुमानदास चैला हुकुमदास कौम ब्राम्हण, साकिन देह अंकित था तथा कॉलम नं0 4 में कालूदास चेला रूघनाथ दास दर्ज था। उक्त जमाबंदी में कॉलम नं0 4 में खुदकाश्त अंकित नही था। जिसके कारण खातेदार कालूदास चेला रूघनाथ दास को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं राजस्व मण्डल द्वारा जारी निर्देश एवं माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर की वृहद पीठ द्वारा तारा बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं अन्य न्यायिक निर्णयों एवं राजस्थान (भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण) अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अनुसरण में खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हमारा यह सुविचारित अभिमत है कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ के तारा बनाम सरकार में पारित न्यायिक निर्णय के अनुशीलन में अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 5 को विधि अनुरूप नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिया जाना विधि सम्मत् है।

अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किया जाकर पुनः इस आशय के साथ पुनः प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रस्तुत रेफरेन्स राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15, राजस्थान जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 व 10 तथा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा उक्तानुसार समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ के तारा बनाम सरकार में पारित न्यायिक निर्णय एवं राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों के अनुशीलन में जारी किये गये निर्देशों/निर्णयों की पालना में प्रकरण यदि विचारण योग्य हो तो अप्रार्थीगणों को पुनः सुनकर तीन माह की अवधि में विधि अनुरूप पुनः इस न्यायालय को प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

11.2.21

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर